



राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक:एफ.1(2)(1)आ.प्र.एवं सहा/ओ.वृ. व पा.शी./गि.रि./2024/

जयपुर,दिनांक: 24.01.2025

अधिसूचना

राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सर्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 03 व 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान सरकार एतद द्वारा जिला कलक्टर हनुमानगढ़ द्वारा खरीफ फसल सम्बत-2081 (वर्ष 2024) में दिनांक 04.10.2024 को हुई ओलावृष्टि से खरीफ फसलों में खराबे की जिंसवार की गई नियमित गिरदावरी की रिपोर्ट (7डी) भिजवाई गई है, जिसके आधार पर तहसील संगरिया के निम्नलिखित 09 ग्रामों में खरीफ फसलों में ओलावृष्टि से 33 प्रतिशत एवं इससे अधिक खराबा होने के कारण प्रभावित कृषकों को कृषि आदान अनुदान वितरण करने के लिये अभावग्रस्त घोषित करती है और निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 05 से 10 तक के प्रावधान प्रभावित गांवों में इस अधिसूचना के जारी होने से 31 मार्च, 2025 तक लागू रहेंगे:—

| जिले का नाम | तहसील का नाम | क्र.सं. | अभावग्रस्त किये जाने वाले गांवों के नाम |
|-------------|--------------|---------|---|
| हनुमानगढ़ | संगरिया | 1 | 1 डीएलपी |
| | | 2 | 2 डीएलपी |
| | | 3 | 3 डीएलपी |
| | | 4 | 3 एमएमके |
| | | 5 | 4 एमजेडी |
| | | 6 | 5 एमजेडी |
| | | 7 | 6 एमजेडी |
| | | 8 | 8 एनटीडब्लू |
| | | 9 | 9 एनटीडब्लू |

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
(भगवत सिंह)
शासन संयुक्त सचिव

(1)





क्रमांक: एफ. १(२)(१)आ.प्र. एवं सहा / ओ.वृ. व पा.शी. / गि.रि. / २०२४ /

जयपुर, दिनांक: 24.01.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

१. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
२. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, आ.प्र. एवं सहायता, राजस्थान सरकार।
३. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, आ.प्र. एवं सहायता, राजस्थान सरकार।
४. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, सम्बन्धित जिला प्रभारी मन्त्री राज. जयपुर।
५. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, जल संसाधन, विभाग जयपुर।
६. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, वित विभाग, राज., जयपुर।
७. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
८. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज., जयपुर।
९. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
१०. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राज., जयपुर।
११. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, राज., जयपुर।
१२. निजी सचिव, शासन सचिव, कृषि विभाग, राज., जयपुर।
१३. निजी सचिव, सम्बन्धित जिला प्रभारी सचिव, राज., जयपुर।
१४. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एन.डी.एम.डिवीजन) गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
१५. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (डी.एम.डिवीजन) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
१६. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, नई दिल्ली।
१७. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
१८. संभागीय आयुक्त, बीकानेर।
१९. जिला कलक्टर, हनुमानगढ़।
२०. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
२१. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
२२. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के समस्त अधिकारीगण।
२३. सांख्यिकी शाखा/रक्षित पत्रावली, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग।
२४. अधीक्षक, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।
२५. एनालिस्ट कम-प्रोग्रामर, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर को गजट नोटिफिकेशन में ऑन लाईन/ई-फाईल से प्रकाशित करवाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं नियमानुसार डीएमआईएस पोर्टल पर डेटा फिलिंग के लिये ऑप्शन खोलने हेतु।
२६. सामान्य शाखा, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राज., जयपुर।

शासन संयुक्त सचिव

(2)